

थाना कोपागंज जनपद मऊ क्षेत्रान्तर्गत पुलिस चौकी कुर्थीजाफरपुर बोर्ड पर “पाकिस्तान है हमेशा रहेगा” काले रंग से लिखकर वायरल करने से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनूप कुमार, के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में ताथा कोपागंज पुलिस द्वारा (पुलिस चौकी कुर्थीजाफरपुर) थाना कोपागंज जनपद मऊ, के बोर्ड पर “पाकिस्तान है हमेशा रहेगा” काले रंग से लिखकर वायरल करने से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्तगण 1. अरुण राय पुत्र राजकिशोर राय साकिन ग्राम सोड़सर थाना कोपागंज जनपद मऊ उम्र करीब 33 वर्ष 2. अभिनव राय पुत्र अजय राय साकिन ग्राम फैजुल्लाहपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ उम्र करीब 24 वर्ष को फैजुल्लाहपुर से गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

उपरोक्त मु0अ0सं0 149/2026 धारा 196(1)a बीएनएस व 67 आईटी एक्ट में पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रहा है ।

### अभियुक्तगण का विवरण

1. अरुण राय पुत्र राजकिशोर राय साकिन ग्राम सोड़सर थाना कोपागंज जनपद मऊ, उम्र करीब 33 वर्ष।
2. अभिनव राय पुत्र अजय राय साकिन ग्राम फैजुल्लाहपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ, उम्र करीब 24 वर्ष ।

### पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 149/2026 धारा 196(1)a बीएनएस व 67 आईटी एक्ट

जनपद मऊ पुलिस द्वारा साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानों की साइबर पुलिस टीमों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए 03 पीड़ितों की कुल 42700/- धनराशि वापस कराई गई।

विभिन्न थाना क्षेत्रों से प्राप्त साइबर फ्रॉड की शिकायतों के आधार पर साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं साइबर पोर्टल पर तत्काल कार्रवाई की गई

उक्त कार्यवाही के अंतर्गत जनपद के विभिन्न थानों से कुल 03 पीड़ितों की कुल धनराशि 42700/- रुपये वापस कराई गई। जिसमें क्रमशः थाना कोपागंज पुलिस द्वारा एक पीड़ित धर्मप्रकाश मौर्या पुत्र विजय कुमार मौर्य निवासी ग्राम भरथिया कादीपुर थाना कोपागंज 26000/- रुपये व थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा एक पीड़ित आशीष कुमार यादव निवासी जमीन शाहरुल्लाह थाना हलधरपुर जनपद मऊ 6700/- थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा एक मोहम्मद अख्तर निवासी गोठा थाना दोहरीघाट 1000 /- रुपये उनके खाते में वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें। साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा [www.cybercrime.gov.in](http://www.cybercrime.gov.in) पर शिकायत दर्ज कराएं।

**पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 27.05.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-**

इस अभियान के अंतर्गत 41 टीम गठित कर जनपद के 47 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1350 संदिग्ध वाहनो/व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 480 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 01 वाहनों को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानों पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर व मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 26.05.2026 को 01 नफर अभियुक्त को मा० न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद मऊ कोर्ट द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा, विवरण निम्नवत है:-

थाना कोपागंज पर पंजीकृत मु०अ०सं० 217/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी 01 अभियुक्त घनश्याम पुत्र रामदयाल निवासी चंदौसी थाना बनियाठेर थाना संभल को धारा उपरोक्त में न्यायालय उठाने तक की सजा वह ₹1500 का अर्थ दंड से दण्डित किया गयादण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर व मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 26.05.2026 को 01 नफर अभियुक्त को मा० न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद मऊ कोर्ट द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा, विवरण निम्नवत है:-

थाना दक्षिण टोला पर पंजीकृत मु०अ०सं० 29/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियोग के आरोपी अभियुक्त राजेश पुत्र अमरजीत निवासी निषाद नगर थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ को धारा उपरोक्त में न्यायालय उठाने तक की सजा वह ₹1000 का अर्थ दंड से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर

व मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 27.05.2026 को 02 नफर अभियुक्तों को मा0 न्यायालय एएसजे/एफटीसी 2 /गैंगस्टर कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा, विवरण निम्नवत है:-

थाना चिरैयाकोट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 181/2002 धारा 3(1) उ. प्र. गैंगस्टर एक्ट के आरोपी 02 अभियुक्तों 1. अफरोज उर्फ मिस्टर पुत्र सेराज 2. कमर उर्फ प्रिंस पुत्र एजाज निवासीगढ़ महतवाना थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को धारा उपरोक्त में 07 वर्ष का कठोर कारावास व 40000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर व मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 27.05.2026 को 01 नफर अभियुक्त मा0 न्यायालय एस पी एल (जे ) एस सी एस टी कोर्ट मऊ द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा, विवरण निम्नवत है:-

थाना हलधरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 203/2019 धारा 8/20 एन डी पी एस एक्ट के आरोपी 01 अभियुक्त विभावती देवी पत्नी जयराम राजभर निवासी गहना थाना हलधर पुर जनपद मऊ को धारा उपरोक्त में जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा का दंड व 3000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया,